न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 35 / 2025

श्री वृन्दावन शर्मा पुत्र रामकरण बाह्मण निवासी ख्वास जी की हवेली के वार्ड नं. 8 ट्रक स्टेण्ड मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 03.06.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

तहसीलदार मालपुरा के यहाँ पर हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र मय वांछित कागजात पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं प्रार्थी की संपत्ति की डी.एल.सी. की रिपोर्ट कराकर आवेदन किया था व उसके साथ नियमानुसार पोस्टल आर्डर 5.00/– रूपये का जिसके नं. 65सी– 729085 व 65सी– 729086 दो पेश किये थे जो यह आवेदन दिनांक 20.12.2024 को पेश किया था कि प्रार्थी को हैसियत प्रमाण पत्र 2 लाख रूपये का दिलाने के लिये व साथ ही अमरचन्द शर्मा द्वारा व रामकिशन शर्मा द्वारा चाहे गये हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित सारे दस्तावेजात व तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही ते संबंधित संपूर्ण दस्तावेजात की प्रतिया मांगी गई थी ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक को पत्र कमांक 598 दिनांक 23.04.2025, 745 दिंनाक 08.05.2025 876 दिनांक 22.05.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
666